

भारतीय रिज़र्व बैंक

विनियमन विभाग का नोडल कार्यालय
अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA
NODAL OFFICE OF DEPARTMENT OF REGULATION
AHMEDABAD REGIONAL OFFICE



NBFC-ICC

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमा राशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)
(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या **B.10.00318**
No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्ववर्ती लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमा राशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

LAXMI INDIA FINANCE LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS LAXMI INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED)

(in lieu of earlier Certificate No. B.10.00318 dated March 31, 2023 issued by RBI Jaipur)
is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन **अहमदाबाद**
मे **फरवरी** दो हजार **पच्चीस** की **सातवीं** तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at

AHMEDABAD

this

Seventh

day of

February

Two Thousand

Twenty Five



मानभजन मिश्रा

महप्रबंधक / उप महप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager



शर्तें / Conditions

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हो, प्रदर्शित की जायेगी।	1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।	2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
3. आपकी कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालाभ निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।	3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the directions, guidelines/instructions etc. issued by the Reserve Bank of India and as applicable to it.
4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उस के पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये: “कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 07.02.2024 का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमा राशियों की अदायगी/देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।”	4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under: “The company is having a valid Certificate of Registration dated 07.02.2024 issued by Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the Reserve Bank of India does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for the repayment of deposits/discharge of liabilities by the company.”
5. आपकी कंपनी को जनता की जमा राशियां स्वीकार करने/रखने की अनुमति नहीं है।	5. Your company is not allowed to accept/hold public deposits.
6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से भारतीय रिज़र्व बैंक को अवगत कराया जाये।	6. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Reserve Bank of India.

27960



भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
NEW DELHI REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता को जमाशुनियों स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)
(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

No. B-14.02353

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाशुनियों स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 1A of the Reserve Bank of India Act, 1934

M/s. Laxmi India Finleaseap Private Limited
is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन जारी की जा रही है
दो हजार एक को उदाहरण तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at New Delhi
this twenty eighth day of March Two Thousand one

(Gajender Kumar)

(महा प्रबंधक / 34/38/32)



अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत III भा के अन्तर्गत विचार करने वाली तथा मानदों को निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।	Company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
3. आपकी कंपनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथासम्यग निर्देशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों, आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।	3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, guidelines / instructions, etc. issued by the Bank and as applicable to it.
4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये :- "कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डा कू के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक <u>28.03.2001</u> का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी बात की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमागारियों की अदायगी / देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।"	4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement, etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under : "The company is having a valid Certificate of Registration dated <u>28.03.2001</u> issued by the Reserve Bank of India under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits / discharge of liabilities by the company."
5. @आपकी कंपनी को जनता की जमागारियां स्वीकार करने / रखने की अनुमति नहीं है।	5@.Your company is not allowed to accept / hold public deposits.
6. *आपकी कंपनी को जनता से फिलहाल कोई भी जमागारि स्वीकार नहीं करनी चाहिये। दो वर्ष की अवधि तक परिचालन में रहने के बाद यदि कंपनी जनता से जमागारियां जुटाना चाहे तो वह दो वर्ष के लेखा-परोक्षित तुलन पत्र और किसी मान्यता प्राप्त साख निर्धारण एजेंसी से सीमावर्ती जमागारियों के लिए साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के साथ बैंक से अनुरोध कर सकती है। आपकी कंपनी हमसे विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जनता की जमागारि स्वीकार करेगी।	6*.Your company must not accept any public deposits for the time being. After the company has been in operation for a period of two years, if it intends to raise public deposits, it may approach the Bank with the audited Balance Sheets for two years and a credit rating for fixed deposits from one of the recognised rating agencies. Your company will accept public deposits only after obtaining specific approval from us.
7. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से बैंक को अवगत कराया जाये।	7. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank.
@ उन कंपनियों पर लागू, जिन्हें उनके बोर्ड के इस संकल्प के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना जनता की जमागारियां स्वीकार न करें।	@ Applicable to companies, to whom Certificate of Registration has been issued on the basis of their Board Resolution not to accept public deposits without prior written permission of RBI.

